

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 10 अगस्त, 2000 (श्रावण 19, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

कुमारी लीला राय, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पृष्ठे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री डोमन सिंह नगपुरे, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1995-96 (दिनांक 31 मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष के लिए) पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, लालसिंह, नरेन्द्र बिरधरे, सदस्य, ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अनियमितताएं किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सुश्री कुसुमसिंह, सदस्य, पन्ना जिले के वन परिक्षेत्र धरमपुर में वृक्षों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री गणेशशंकर बाजपेयी, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का इक्यासीवां, ब्यासीवां, तिरासीवां, चौरासीवां, पचासीवां एवं छियासीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम कांकरखेड़ी के पास खड़ी घाटी की चढ़ाई को कम कराये जाने,
- (2) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के -
 - (क) ग्राम सुल्तानगंज स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
 - (ख) ग्राम गोरखपुर स्थित माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,
 - (ग) खम्मरिया-चादोड़ा तालाब सिंचाई योजना की स्वीकृति दिलाये जाने,
 - (घ) उदयपुरा नगर में महाविद्यालय भवन बनाये जाने; तथा
 - (ङ.) टप्पा देवरी में आई.टी.आई. भवन बनाये जाने,
- (3) हाजी गुलाम सिपतैन, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम सकरीगढ़ में 10 बिस्तरो वाला चिकित्सालय खोले जाने,
- (4) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल नगर के वार्ड क्र. 31 के ग्राम सूरजनगर से बिसनखेड़ी तक -
 - (क) सड़क किनारे स्ट्रीट लाईट लगाये जाने; तथा
 - (ख) सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने,
- (5) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, गैस अस्पताल, भानपुर, भोपाल के पास से प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर को हटाये जाने,
- (6) श्रीमती सुशीला देवी ठाकुर, सदस्य, विदिशा जिले के -
 - (क) ग्राम गुलरखेड़ी एवं हैदरगढ़ में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने; तथा
 - (ख) ग्राम डंगरवाड़ा एवं सौधर के बीच ओढ़ी नदी पर पुल बनाये जाने,
- (7) श्री छतराम देवांगन, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले के -
 - (क) अकलतरा नगर में 132 के. व्ही. ट्रांसफार्मर लगाये जाने,
 - (ख) ग्राम खटोला से अकलतरा मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण कराये जाने; तथा
 - (ग) बलौदा नगर में महाविद्यालय भवन बनाये जाने,
- (8) श्री नित्य निरंजन खम्मरिया, सदस्य, जबलपुर जिले के -
 - (क) गोसलपुर-खिन्नी मार्ग को नाबार्ड योजना में सम्मिलित कराये जाने,
 - (ख) घाट सिमरिया-प्रतापपुर मार्ग को नाबार्ड योजना में सम्मिलित कराये जाने; तथा
 - (ग) कटनी जिले के उमरिया-कूमही-दीमरखेड़ा मार्ग को नाबार्ड योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान कराये जाने; एवं
- (9) श्री अजय रेवनाथ चौरे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -
 - (क) सौसर तहसील मुख्यालय स्थित चिकित्सालय भवन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने; तथा
 - (ख) कुड्डम - रामपेठ - जोबनी मार्ग का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

